ikDdFku

यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त पर आधारित यह प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 में राज्य के वित्तीय प्रदर्शन का आकलन करता है एवं राज्य विधायिका के समक्ष वित्तीय आंकड़ों का लेखापरीक्षा विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन (संशोधन) अधिनियम, 2017, चौदहवें वित्त आयोग की रिपोर्ट एवं बजट अनुमान 2016-17 द्वारा परिकल्पित लक्ष्यों के सापेक्ष वित्तीय प्रदर्शन का विश्लेषण करने का प्रयास किया गया है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

v/;k; **1** वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं 31 मार्च 2017 को उत्तर प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी, ऋणों के भुगतान एवं उधार पर व्यय की प्रवृत्ति पर प्रकाश डालता है।

v/;k; **2** विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है एवं इसमें अनुदानवार विनियोगों तथा सेवादायी विभागों द्वारा किस प्रकार आवंटित संसाधनों का प्रबन्धन किया गया है, का विवरण है।

v/;k; **3** उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न रिपोर्टिंग आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन का लेखा–जोखा है।

लेखापरीक्षा का निष्पादन भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा निर्गत लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप किया गया है।